

प्रस्ताव की कम संख्या.....  
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

**प्रपत्र-2.1**

**भाग-11**

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

| क.सं. | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7     | <b>परियोजना/स्कीम का स्थान:-</b> जनपद बागेश्वर के जिला पंचायत क्षेत्र खुनौली के एस.सी.एस.पी. में चयनित ग्राम ग्वातोली में करीमपुर से एस.सी.एस.पी. में ही चयनित ग्राम भुडियार तक मोटर मार्ग की स्वीकृति तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम दत्त जोशी के गांव को बनलेख मोटर मार्ग में मिलान के कार्य का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। |                                                                                                               |
| i)    | राज्य/संघ शासित क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | उत्तराखण्ड                                                                                                    |
| ii)   | जिला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | बागेश्वर                                                                                                      |
| iii)  | वन प्रभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर                                                                                  |
| iv)   | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सिविल भूमि-0.00 हेक्टेयर, वन पंचायत-1.687 हेक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.00 हेक्टेयर (कुल वनभूमि-1.687 है0) वनभूमि  |
| v)    | वन की कानूनी स्थिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सिविल सोयम एवं वन पंचायत                                                                                      |
| vi)   | हरियाली का घनत्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.2                                                                                                           |
| vii)  | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/ जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ. आर.एल. - 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए                                                                                                                                                                                                       | सूची संलग्न है।                                                                                               |
| viii) | भूसंरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भू वैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न भू संरक्षण की सम्भावना नहीं है।                                                |
| ix)   | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | संलग्न है।                                                                                                    |
| x)    | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए)                                                                                                                                                                                 | नहीं।                                                                                                         |
| xi)   | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दें।                                                                                                                                                                                                                                                   | नहीं।                                                                                                         |
| xii)  | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा संक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या                                                                                                                                                             | नहीं।                                                                                                         |
| 8     | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्योरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।                                                                                                                                                                                 | वनभूमि न्यूनतम है अभी मार्ग प्रस्तावित है। कोई उल्लंघन नहीं किया। स्वीकृति के उपरान्त निर्माण करवाया जाना है। |
| 9     | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।                                                                                                                                                                             | नहीं।                                                                                                         |
| 10    | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |
| i)    | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।                                                                                                                                                                                        | संलग्न है।                                                                                                    |
| ii)   | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।                                                                                                                                                                                                                                                                    | संलग्न है।                                                                                                    |
| iii)  | रोपित की जाने वाली प्रजातियाँ सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |
| iv)   | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परियोजना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |

|                                                                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| और प्रबन्धकीयदृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।                      | प्रस्ताव में संलग्न है।     |
| जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) | संलग्न है।                  |
| प्रभाग/जिला प्रोफाइल                                                                                                                |                             |
| जिला का भौगोलिक क्षेत्र।                                                                                                            | —                           |
| जिला का वन क्षेत्र।                                                                                                                 | 231000 (Hec)                |
| मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।                                                              | 107400 (Hec)                |
| 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण                                                                               | 357 फ़ीसद 1453.2083         |
| दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि वनेत्तर भूमि पर                                                                        | 1315.270 (Hec)              |
| वन भूमि पर                                                                                                                          | —                           |
| वनेत्तर भूमि पर                                                                                                                     | 1081.00 (Hec)               |
| प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।                                   | 284.272 (Hec)               |
| स्थान—                                                                                                                              | स्वीकृत है संलग्न की गयी है |

दिनांक—कोटवाल

*Handwritten signature*

सहायक अभियन्ता  
नाण खण्ड लो० नि० वि०  
कपकोट (बागेश्वर)

हस्ताक्षर— **प्रभागीय वनाधिकारी,**  
नाम— **बागेश्वर वन प्रभाग,**  
बागेश्वर

सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०  
कपकोट